प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
ए0 आर0 डी0 पब्लिक स्कूल,
नौरंगपुर मु0बाद सहारनपुर।

पत्रांक:— बेसिक / मान्यता / 20804-06 / 2020—21 दिनांक :— 04/01/21

विषय:— मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र स0 मान्यता / अग्रेजी माध्यम / 20682—84 / 2016—17 दिनांक 28.12.2016 के द्वारा निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 04 के अधीन आपकी सेस्था नर्सरी से कक्षा 8 तक अग्रेजी माध्यम से अनन्तिम मान्यता दिनांक से आगामी तीन वर्ष के लिये प्रदान की गई है, के नवीनीकरण / स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी, मु0बाद सहारनपुर के पत्र दिनांक 17.12.2020 की आख्या के अनुसार आपके विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात उक्त विद्यालय का विगत तीन वर्षो से सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार मान्यता की शर्तो के उल्लघंन करने सम्बंधी शिकायत प्राप्त नही हुई है, के आधार पर शासनादेश संख्या 418 / 79—6—2013—18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग—6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर—15 के प्रावधनानुसार उक्त अवधि मे मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है, तो तीन वर्षो की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हेा गयी है, के अधीन यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(रमेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

पृ0स0 / बेसिक / मान्यता / 20804-06 / 2020—21 तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड / नगर शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

MANAGER
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)